



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:—2025 / 679

दर्ज तिथि:—19.09.2025

1. राऊराम पुत्र दूदाराम
जाति जाट निवासी बांटाडेर तहसील गुड़ामालानी

.....प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, गुड़ामालानी
2. जेठाराम पुत्र दुदाराम
3. प्रभूराम पुत्र दुदाराम
4. देवाराम पुत्र नरसीगा
5. धर्मराम पुत्र नरसीगाराम
6. नानगाराम पुत्र खेताराम
7. पूनमाराम पुत्र सुरताराम फौत के कायम मुकाम
7/1 आईदानराम पुत्र पूनमाराम
7/2 मेहराराम पुत्र पूनमाराम
7/3 चूनाराम पुत्र पूनमाराम
8. प्रहलादराम पुत्र खेताराम
9. फगलूराम पुत्र खेताराम
10. रामु पत्नी खेताराम फौत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 6, 8, 9, 12
11. मोहन पुत्र हीराराम
12. लालाराम पुत्र खेताराम
13. लिच्छु पत्नी नरसीगाराम
14. सवाई पुत्र हीराराम
जाति जाट निवासी सगराणियों की बेरी तहसील गुड़ामालानी।

.....असल अप्रार्थीगण

15. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी।
16. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा कृषि विकास बैंक गुड़ामालानी
17. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी।

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:—श्री डालूराम चौधरी

अप्रार्थी:— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136

राजस्थान भू—राजस्व अधि0—1956



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-07.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 68/1.6592 है0, 70/0.4371 है0 ग्राम डी भेमियाजी नगर, खसरा संख्या 109/1.6754 है0 मौजा बांटाडेर, खसरा संख्या 694/8.2960 है0 मौ सगराणियों की बेरी पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 व 2074-2077 में प्रार्थी के नाम रावताराम पुत्र दूदाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं राशन कार्ड तथा पटवार मण्डल पीपराली के ग्राम सियोलो का डेर के खसरा संख्या 758, 739, 740, 740/2 व जे. के. मूढणसर के खसरा संख्या 806 व ग्राम ईश्वरपुरा के खसरा संख्या 125, 130, 58 व बांटाडेर के खसरा संख्या 109/3, 73 इत्यादि में राऊराम पुत्र दूदाराम दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में भी परिवर्तित नाम राऊराम पुत्र दूदाराम दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम को राजस्व रिकॉर्ड में राऊराम पुत्र दूदाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1937 दिनांक 19.01.2026 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।
3. मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड 68/1.6592 है0, 70/0.4371 है0 ग्राम डी भेमियाजी नगर, खसरा संख्या 109/1.6754 है0 मौजा बांटाडेर, खसरा संख्या 694/8.2960 है0 मौ सगराणियों की बेरी पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी के नवीन खाता संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (है0)
रावताराम पुत्र दुदाराम	30	68	1.6592
	डी भेमियाजी नगर	70	0.4371
रावताराम पुत्र दुदाराम	43 बांटाडेर	109	1.6754

रावताराम पुत्र दुदाराम	59 सगरामाणियो की बेरी	694	8.2960
------------------------	--------------------------	-----	--------

4. प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में रामकेन पुत्र बांकाराम अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	राऊराम पुत्र दुदाराम
जन आधार कार्ड	राऊराम
पैन कार्ड	राऊराम पुत्र दुदाराम
राशन कार्ड	राऊ राम जाट पुत्र दुदाराम
जमाबंदी खाता संख्या 37 व 38 मौजा सियोलो का डेर	राऊराम पुत्र दुदाराम
जमाबंदी खाता संख्या 44 मौजा ईश्वरपुरा	राऊराम पुत्र दुदाराम
जमाबंदी खाता संख्या 34 व 35 मौजा बांटाडेर	राऊराम पुत्र दुदाराम
जमाबंदी खाता संख्या 25 मौजा मूढणसर	राऊराम पुत्र दुदाराम

5. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार है:—

उक्त प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम की धारा-136 के अंतर्गत मुताबिक हाल जमाबंदी संवत् 2074-2077 वाके ग्राम डी भोमियाजी नगर हिस्सा 1/3, जमाबंदी संवत् 2074-2077 वाके ग्राम बांटाडेर हिस्सा पूर्ण, जमाबंदी संवत् 2071-2074 वाके ग्राम सगरामाणियो की बेरी हिस्सा 1/4 में रावताराम पुत्र दुदाराम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में राऊराम पुत्र दुदाराम दर्ज है। अतः आधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता फोटो पहचान कार्ड एवं मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं जानकारी के आधार पर रावताराम पुत्र दुदाराम के स्थान पर राऊराम पुत्र दुदाराम शुद्ध किया जाना उचित होगा। रावताराम एवं राऊराम एक ही व्यक्ति है।

6. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में राऊराम पुत्र दुदाराम अंकित है जो बिंदू संख्या-4 में वर्णित है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार गुड़ामालानी ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी का नाम पूर्व में जमाबंदी में अंकित नाम से प्रार्थी द्वारा अपना नाम परिवर्तित करवाये जाने के कारण रावताराम पुत्र दुदाराम के स्थान पर राऊराम पुत्र दुदाराम दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 तहसीलदार गुडामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में नाम रावताराम पुत्र दुदाराम को कलमजन कर उस के स्थान पर राऊराम पुत्र दुदाराम का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी